1992 में पूरा हो गया है । परिसर के विकास कार्यों में शामिल हौज (पम्प) को भरने का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है और विद्यमान हौज (पम्प) के क्षेत्र में शामिल विकास कार्य भी पूर्ण हो गया है। राजघाट और इसके आस-पास के क्षेत्र से पानी की निकासी के लिये एक अतिरिक्त हौज (पम्प) बनाने हेतु नया कुआं बनाने तथा पम्प हाऊस का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। सिविल तथा बिजली के सभी कार्य मियाद में ही पूरे कर दिए गये हैं । तथापि, बागवानी कार्य आंशिक रूप से पूरा हो गया है और आगे प्रगति पर है तथा इसके पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा ।

(ग) अब तक 1,07,24,447/- रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा पूरा करने के लिए अनुमानित 20 लाख रुपये (लगभग) की राशि की और जरूरत है ।

डा० अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखंडों/दुकानों का आबंटन

2243. **श्रीमती सत्या बहिन :** शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था और इस योजना के अन्तर्गत अब तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आबंटन हेतु अब तक कितने आवास तैयार हो गये हैं तथा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक आवासीय मकान आबंटित कर दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक आवास आबंटित कर दिये जाने की सम्भावना है और

(ङ) क्या "डा० अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों को व्यावसायिक भूखंड और दुकान आबंटित करने की कोई योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत 20,000 लोगों को पंजीकृत किया गया था। श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

एम०आई०जी०	7,000
एल०आई०जी०	10,000
जनता . .	3,000

(ख) विशेष रूप से अम्बेडकर योजना के तहत आबंटन हेतु पृथक फ्लैटों का निर्माण नहीं किया जाता। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रत्येक आय समूह योजना अर्थात् अम्बेडकर आवास योजना तथा न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना, 1979 में 25% फ्लैट आरक्षित होते हैं । आबंटन ड्रा के आधार पर किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं । अब तक उपर्युक्त योजना के तहत 615 एल आई जी और 867 जनता फ्लैट आबंटित कर दिये गये हैं। भूमि तथा जलपूर्ति जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के मिलने पर और अधिक फ्लैटों का निर्माण/आबंटन नहीं किया जा सका ।

(घ) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक फ्लैट आबंटित किये जाने की संभावना है

बशर्ते कि भूमि तथा विद्युत और जलापूर्ति जैसे अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध करा दी जायें ।

(ङ) जी, नहीं ।

Acqciring of real estate by overseas Corporate Bodies

@2244. SHRI GHUFRAN AZAM:
PROF. SAURIN BHATTACHARYA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether ovehseas corporate bodies have been allowed to acquire real Estate by Government;

(b) whether the move is likely to raise prices of real Estate for India Public;

(c) whether Government propose to review the situation; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (d) By its notification No. FERA 152|93-RB dated the 26th May, 1993, the Reserve Bank of India has permitted investment by non-residents of Indian nationality|origin in housing and real estate development on certain terms and conditions, vide Statement. (See below). Overseas Corporate Bodies are not eligible to invest under this scheme.

Statement

RESERVE BANK OF INDIA.

EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE
BOMBAY-400023

Notification No. F.E.R.A. 152|93-RB Dated 26th May, 1993

In pursuance of sub-section (1) of Section 31 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (40 of 1973) and in supersession of its notification No. FERA. 100|92-RB dated 8th January 1992 the Reserve Bank is pleased to grant general permission to foreign citizens of Indian origin, to acquire by way of purchase or inheritance and dispose of by way of sale any immovable property, not being agricultural land|farm house|plantation property situate in India and to acquire by way of gift and dispose of by way of sale or gift any residential property situate in India, subject to the following conditions:—

1. (a) In the case of purchase the entire consideration is paid out of foreign exchange brought into India through normal banking channel or out of the funds held in Non-Resident External (NRE) Rupee or Foreign Currency Non-Resident (FCNR) account maintained by the purchaser in India.

Purchase of Residential property is, however, permissible only for bonafide residential purpose of the purchaser, and it shall not be let out except where it is not immediately required for that purpose.

(b) In the case of acquisition by way of gift

(i) It is effected between relatives;

(ii) It does not exceed two residential properties in the case of persons resident ontside India, and

(iii) gift tax liability, if any, is duly discharged.

(c) The person acquiring such property submits to the Controller, Exchange Control Department, Foreign Investment Division

@Previously Unstarred Question 1490, tranferred from 14th December, 1993.